प्र.सं. 24/20 श्रीमती दुर्गाबाई बनाम पेमा के बजाय श्रीमती चतरीबाई

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे ा 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मनवाखेड़ा में प्रार्थीगण एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता के खातेदारी आधिपत्य की आराजी नंबर 1539 व 1542 स्थित है। विपक्षीगण प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते थे इसलिए विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2004 को अस्थायी निशेधाज्ञा जारी की गयी जो आज भी जारी है, किन्तु इसके बावजूद भी विपक्षीगण ने दिनांक 24.10.2009 व 25.10.2009 को एक कमरे की छत डाल दी, जो माननीय न्यायालय के आदे ा की अवहेलना है। अतः विपक्षीगण को सख्त से सख्त सजा दिलायी जावे। विपक्षी संख्या 1/1 से 1/3 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार अथवा सहखातेदार नहीं है, न ही इनका कब्जा है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1/1 से 1/3 के स्वामित्व, खातेदारी एवं कब्जे की है। विपक्षीगण द्वारा न्यायालय आदे ा की अवहेलना नहीं की गयी है, न ही किसी प्रकार का निर्माण किया गया है। प्रार्थीगण ने मनगढन्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18.11.2020 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ... न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का कोई ... अपने निर्णय में नहीं किया है तथा न्यायालय के आदे ा की अवहेलना साबित हो...	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:37 IST
Reason: SelfAttested

भी टेकनिकल बिन्दु पर निर्णय पारित करते हुए अवमानता का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण की अचल सम्पत्ति कुर्क की जाकर सिविल जेल की सजा फरमायी जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1267, आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.) पेज 515, ए.आई.आर. 2003 केरला पेज 97 एवं ए.आई.आर. 2005 गोहाटी पेज 35 की न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं वकील रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विस्तृत विवेचन में यह माना कि दिनांक 24–10–2009 से 25–10–2009 को निर्माण करना प्रार्थीगण द्वारा बताया गया है, उक्त दिनांक को स्थगन आदे ा प्रभावी नहीं था, ऐसी स्थिति में न्यायालय आदे ा की अवमानना का प्र न ही उत्पन्न नहीं होता है। उक्त आधार पर अपीलान्ट का अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के आलोक में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 84/2019 निर्णय दिनांक 18.11.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:37 IST
Reason: SelfAttested

(… चौहान)
… अधिकारी
… एवं पदेन … एवं अपील अधिकारी
उदयपुर